न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–58/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/185)

1. जगन्नाथ पुत्र पूनीराम, जाति मीना निवासी बडवाली ढाणी, राहूवास, तहसील राहूवास, जिला दौसा।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहूवास, जिला दौसा।
2. भौरीदेवी पत्नी जगदीश प्रसाद,
3. रामजीलाल पुत्र पूनीराम,
4. प्रभाती लाल पुत्र पूनीराम, समस्त जाति मीना निवासी बड़वाली ढाणी राहूवास तहसील राहूवास जिला दौसा।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री सत्यनारायण शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री आलोक चौधरी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 03.04.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि आराजी खसरा नम्बर 268 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम राहूवास तहसील राहूवास जिला दौसा में स्थित है, अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के पड़ौसी खातेदार है तथा अपीलान्ट ने अपने हिस्से पर चारों तारफ खाम डोल लगाकर तारबन्दी कर कब्जा काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहा है। पूर्व में अपीलान्ट ने भी जमीन नपवाने की कार्यवाही की थी जिसमें अपीलान्ट की भूमि कम पड़ रही थी, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को बतौर अप्रार्थीगण के रूप में पड़ौसी खातेदार होने के कारण पक्षकार दर्ज किया था लेकिन प्रकरण में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 4 को कोई नोटिस जारी नही किया गया, न ही नोटिस जारी होने की कोई आदेशिका पत्रावली पर मौजूद है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम में पडौसी खातेदार को भी सुनना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2017 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम कानून में एक निर्धारित समयावधि में ही पेश किया जाता है, कूननन दिनांक 15.06.2021 तक ही उक्त भूमि का सीमाज्ञान व

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

पत्थरगढ़ी की कार्यवाही हो सकती थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर भी बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि पत्थरगढी के आदेश से पूर्व वादग्रस्त भूमि खसरा नमबर 265/1 रकबा 13 बिस्वा खसरा नमबर265/2 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कु किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम राहूवास में स्थित भूमि का कानूनी रूप से सीमाज्ञान किया जाना न्यायोचित व आवश्यक होता है सीमाज्ञान में पड़ौसी खातेदारों को सूचना दी जाती है तथा सीमाज्ञान होने के पश्चात् ही उक्त पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राहूवास से तथ्यात्मक रिपोर्ट नही ली गई जबकि तथ्यात्मक रिपोर्ट लेना मेन्डेट्री (आज्ञापक) प्रावधान है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार को नोटिस दिये बिना कार्यवाही एक तरफा कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की स्वयं की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 265/1 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 265/2 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम राहूवास जिला दौसा में स्थित है जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है तथा आराजी वादग्रस्त का खाता कानून पृथक व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम होने के बावजूद भी राजनैतिक रसूखात वाले धनबली व भूजबली लोग रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के साथ वरवक्त जुताई बुवाई कृषि भूमि की सीमाओं को लेकर आपस में विवाद करने पर आमादा हो जाते है व भूमि के उपयोग व उपभोग में मजामहत, मदाखलत, दखलन्दाजी, अड़चन पैदा करते है जिसका की उन्हे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी आराजी व फसल की सुरक्षार्थ दिनांक 06.07.2011 को हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश करवायी गई थी तथा सीमाज्ञान पैमाईश के आधार पर पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही रेस्पोडेन्ट की आराजी की पत्थरगढ़ी हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई तथा उक्त पत्थरगढी के सम्बन्ध मे अपीलार्थी को किसी प्रकार का एतराज करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को बतौर रेस्पोडेन्ट बनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम पेश किया गया जिसमें न्यायिक प्रक्रियानुसार अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को विधिवत रूप से सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने एवं प्रकरण में समरी इन्क्वायरी करने के पश्चात् गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक था

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई भी साक्ष्य सबूत या दस्तावेजात उपलब्ध नही है जिससे अपीलार्थी और रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाना व समरी इन्क्वायरी किया जाना जाहिर होता हों जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही एवं प्रकरण में बिना समरी जॉच किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2017 पारित किया है, जो आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण उसे उचित नही ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं समरी जॉच करने के पश्चात् प्रकरण के गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।